निगरानी 853-III-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश भोपाल बैच।

ग्राम पांडाडो, तह.बुधनी, जिला सीहोर,

157 प्रकरण .... निग./I/वर्ष-2014-15

श्रीमति सुनीता मालवीय पत्नि श्री
अर्जुन मालवीय, आयु-वयस्क, निवासी-
बुधनी, जिला-सीहोर, मध्यप्रदेश। .... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

संजीव महेश्वरी आत्मज श्री पी.के महेश्वरी,
आयु-वयस्क, निवासी- ई-3/22, अरेरा कालोनी,
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, मध्यप्रदेश। .... प्रतिनिगरानीकर्ता

मध्यप्रदेश भू.रा.संहिता की धारा 50 के तहत् निगरानी

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

माननीय महोदय,

निवेदन है कि निगरानीकर्ता विद्वान तहसीलदार बुधनी द्वारा राजस्व प्रकरण कमाक 25/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30/12/2014 से असंतुष्ट होकर निम्नालिखित तथ्यों अधारों पर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 853–तीन / 15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–6–2015	आवेदिका अधिवक्ता द्वारा धारा 5 के आवेदन पर व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय में यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–12–2014 के विरूद्ध दिनांक 17–3–2015 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । साथ में विलंब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । विचारोपरान्त अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है । 2 ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । निगरानी ग्राह्य की जाती है । इस निगरानी में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को सुनवाई का अवसर समाप्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है, अथवा नहीं । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा आवेदिका के सुनवाई का अवसर समाप्त करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2014 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वे आवेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर देकर 3 माह में प्रकरण का निराकरण करें । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	